

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 24
दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच मुक्त जिले

24. श्री के. आर. अर्जुनन:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन 70 जिलों की गहन निगरानी कर रही है जिनका देश में खुले में शौच मुक्त जिले बनाने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार को आशा है कि इस वर्ष मार्च तक 80 और जिले खुले में शौच मुक्त हो सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)**

(क) और (ख) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए जाने हेतु लक्ष्यबद्ध जिलों की नजदीकी से निगरानी करता है। राज्यों/जिलों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें और वीडियो कॉफ्रेंस आयोजित किए जाते हैं। लगभग प्रतिदिन अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। क्षेत्र दौरे (मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा) भी आयोजित किए जा रहे हैं। पांच कम कार्य-निष्पादन वाले राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, ओडिशा के जिलों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) आज की तारीख तक कुल 149 जिलों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) के अनुसार वर्ष 2017-18 में ओडीएफ बनाने हेतु 316 जिलों को लक्ष्यबद्ध किया गया है। इनमें से वर्ष 2017-18 में 12.07.2017 तक 22 जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया है।